चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांकः-प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 18.08.2025

-: आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त, 2025 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 05.08.2025 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 21.08.2025 (गुरूवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग-7 की पालना के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओ की पालना भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें:--

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें।
उक्त आदर्श आचार संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. विशिष्ट सचिव (एस.एन.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 2545 दिनांक 31.07.2025 के कम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
11. निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
12. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. संभागीय आयुक्त जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर।
14. जिला कलक्टर बाडमेर, डीग, चुरू, डूंगरपुर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर व उदयपुर।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
18. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
20. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ उप शासन सचिव
Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2025.08.18 17:24:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17209294
eSign 1.0

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/ 2866 दिनांकः 19/08/2025

प्रतिलिपि संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (पंचा.चुनाव) राजस्थान, को पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव माह अगस्त, 2025 - आदर्श आचार संहिता के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.12(6)साप्र/2/2023 जयपुर, दिनांकः 18.08.2025

– : आदेश :–

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी घोषणा के अनुसार राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त, 2025 में करवाये जाने से संबंधित प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त पंचायतीराज संस्थाओं में घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 05.08.2025 को जारी हो गई है एवं मतदान दिनांक 21.08.2025 (गुरूवार) को होगा। अतः आदर्श आचार संहिता के भाग–7 की पालना के साथ–साथ निम्नांकित बिन्दुओ की पालना भी सुनिश्चित करवाने का श्रम करें:––

1. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव समाप्ति तक शासकीय दौरे पर नहीं जायेगें। केवल ऐसी स्थिति में जहां कानून व्यवस्था बिगड़ जाने पर या किसी आपात स्थिति के कारण संबंधित विभाग के माननीय मंत्री की उपस्थिति आवश्यक है, वहां उक्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा लेकिन इसकी सूचना विभाग के शासन सचिव द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जावेगी।
2. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो वे किसी सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं करें और यदि निजी वाहन का प्रयोग करते है तो उस पर लालबत्ती या सायरन आदि का प्रयोग नहीं करें।
3. माननीय मंत्रीगण चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में दौरे पर रहे तो चुनाव से संबंधित अधिकारियों को नहीं बुलाऐं।
4. माननीय मंत्रीगण जब चुनाव से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में रहें वहां स्थित विश्राम गृह, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का या इससे संलग्न परिसरों का उपयोग प्रचार कार्यालय के रूप में या चुनाव से संबंधित कोई बैठक करने की दृष्टि से नहीं करें।
5. सरकारी विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों को निष्पक्ष तरीके से अन्य दलों या अभ्यर्थियों को भी उपयोग करने की अनुमति दी जायेगी लेकिन वे भी उनका चुनाव से संबंधित कार्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे।
6. सरकारी अधिकारी, माननीय मंत्रीगण के दौरे के समय उनके किसी स्वागत में या प्रोटोकॉल में नहीं जायेगें। उक्त आदर्श आचार संहिता बोर्ड/निगम के अध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त है पर भी समान रूप से लागू होंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मन मोहन गौड़)
वरिष्ठ उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. विशिष्ट सचिव (एस.एन.), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
8. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग,राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र कमांक 2545 दिनांक 31.07.2025 के कम में।
10. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
11. निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करावें।
12. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
13. संभागीय आयुक्त जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर।
14. जिला कलक्टर बाडमेर, डीग, चुरू, डूंगरपुर, जयपुर, कोटपूतली–बहरोड, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर व उदयपुर।
15. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान।
18. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक।
19. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
20. रक्षित पत्रावली ।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy Secretary To Government
Date: 2025.08.1? 17:24:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17209294
eSign 1.0